

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 30, सोमवार, शके 1947- जुलाई 21, 2025 Asadha 30, Monday, Saka 1947- July 21, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2025

संख्या प.6(40)कृषि/गुप-2/2004 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (गुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 01.10.1967 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, टोंक की स्थापना की गई थी

अब कृषि उपज मण्डी समिति, टोंक द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम पीपलू में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पीपलू में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार से होगी:-

पूर्व दिशा में - राणोली कठमाणा रोड़ 01 किलोमीटर
पश्चिम दिशा में - सन्देड़ा ग्राम पंचायत सन्देड़ा 2 किलोमीटर
उत्तर दिशा में - निजी खातेदारी जमीन (मण्डी की जमीन से पीछे)
दक्षिण दिशा में - तालाब एवं सरकारी जमीन (रोड़ से दूसरी ओर)

गौण मण्डी यार्ड पीपलू की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,
शासन उप सचिव।

7606

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।